Need to Implement Recomemedations of *Fifth Central Pay Commission* for D.A.N.I. Police and D.A.N.I. Civil Services

श्री शत्रुघ्न सिन्हा (बिहार): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और सदन का ध्यान दिल्ली और अंडमान जैसी जगहों पर काम करने वाले दानी पुलिस और दानी सिविल सर्विस प्रशासनिक सेवाओं के लिए अनुशंसित पांचवें वेतन आयोग से नए वेतन मानों, सेंट्रल पे कमीशन द्वारा रेकमंडेट न्यू पे-स्केल को अभी तक लागू न होने की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, आज से लगभग एक वर्ष पहले देश के तमाम कर्मचारियों को वेतन आयोग द्वारा प्रदान किए गए वेतन मान अक्षरशः लागू कर दिए गए। परन्तु तकनीकी कारणों की आड़ में इन दो सेवाओं के अधिकारियों को नए वेतन मानों से अभी तक वंचित रखा गया है। मैं सदन को यह सूचित करना चाहुंगा कि माननीय गृह मंत्री महोदय को जब इस समस्या से अवगत कराया गया तो इस दिशा में कुछ प्रगति हुई। परन्तु इसके बावजूद इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और किसी न किसी कारण का बहाना बनाकर इन सेवाओं के अधिकारियों को नये वेतन मान से वंचित रखा गया है। सभापति महोदय, ऐसा कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी कि आज तक वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को बिना विलम्ब किए लागू किया जाता रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब खास सेवा को प्रदान की गई सिफारिशों को वेतन आयोग के परिप्रेक्ष्य से अलग हटाकर प्रशासनिक पेचीदिगियों में उलझाकर उन्हें न्याय से वंचित किया जा रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि दानी पुलिस और दानी सिविल सर्विस के अधिकारियों का न केवल दिल्ली बल्कि अन्य केन्द्रीय शासित प्रदेशों मे एक स्वच्छ, कारगर, डेवलपमैंट ओरिएन्टेड, विकासोन्मुखी प्रशासन देने में काफी योगदान है। ऐसे कर्मठ और निष्ठावान अधिकारियों के लिए अनुशंसित न्यायोचित वेतन-मानों को लागू न करना उनके मनोबल को प्रभवित करता है। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि वेतन आयोग द्वारा इन अधिकारियों को प्रदान किए गए वेतन मान, केवल एक प्रयास मात्र है, उनके समकक्ष देश के अन्य राज्यों में कार्यरत अधिकारियों को मिल रहे वेतन मानों से जोड़ने का, यह एक प्रयास मात्र है। महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि वेतन आयोग द्वारा दानी पुलिस और दानी प्रशासनिक सेवा को, आई०बी०, सी०बी०आई० और केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के समान पे-स्केल अनुशंसित किए गए थे। लेकिन इन दो सेवाओं को छोड़कर बाकी आई०बी०, सी०बी०आई और अन्य बलों के वेतन-मान स्वीकार कर लेना, यह सचमुच में एक सौतेला व्यवहार है। सभापित महोदय, मुझे डर है कि सरकार द्वारा समय पर निर्णय न लेने के कारण इन अधिकारियों में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाएगी और वे यह समझाने के लिए मजबूर हो जायेंगे कि "यहां पर सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। खूदा जाने यहां किस तरह जलसा हुआ होगा"। महोदय, इस सदन के माध्यम से मैं सरकार और विशेषकर माननीय गृह मंत्री से यह आग्रह करूंगा, यह अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस रूचि से उन्होंने इनकी समस्याओं को सुलझाने की ओर पहल की है, उसी तरह जल्दी से जल्दी इन सेवाओं के बारे में न्यायोचित निर्णय लेकर इनके टूटे मनोबल को और अधिक न टूटने दें। महोदय, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now it is getting **one O'Clock.** There are five, six Special Mentions. I would like to let the Ministers introduce the Bills so that they can go. Thereafter, the Special Mentions can continue. Shri Advani.

THE IMMIGRATION (CARRIERS' LIABILITY) BILL, 1998

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI) : Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to make the carriers liable in respect of passengers brought by them in to India in contravention of the provisions of the Passport (Entry into India) Act, 1920 and the rules made thereunder and matters connected therewith.

These have been prescribed in the Immigration(Carriers'Liability) Bill, 1998.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI L.K. ADVANI: Sir, I introduce the Bill.